न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 783 / 2023

अनवान : –

1. जसराज पुत्र रामकिशन जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामकिशन पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. जसवंत पुत्र रामकिशन जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. गीता देवी पत्नी स्व0 सुभाष चन्द्र जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. दारासिंह पुत्र स्व0 सुभाषचन्द्र जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. सुनील पुत्र स्व0 सुभाषचन्द्र जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
6. बिमला पत्नी स्व0 दलवीरसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
7. दयाराम पुत्री स्व0 दलवीरसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
8. सुनीता पुत्री स्व0 दलवीरसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
9. सुरस्वती पुत्री स्व0 दलवीरसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
10. तारावती पुत्री स्व0 दलवीरसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
11. सन्तोष पुत्री रामकिशन जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 04/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 402 / 379 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 403 / 380 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 509 / 476 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से 1 / 6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 99 / 98 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि मे 1 / 6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 510 / 477 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुल उर्फ फुलाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम [illegible] हुई। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान[illegible] के नाम दर्ज भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। इसलिए वादग्रस्त [illegible] में वादी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है जिसे अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीया संख्या 11 जो की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 भी काफी वृद्ध हो चुका है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 व 7 ता 10 अपनी माता के नाम भूमि रखना चाहते है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 4, 5 व 7 ता 10 व 11 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वादी एवं प्रतिवादी स0 2, 3, 6 उक्त वाद भूमि पर बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र दलवीरसिंह व सुभाषचन्द्र, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है जो की पूर्व में हमारे पूर्वजो के नाम थी अतः वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 4, 5 व 7 ता [illegible] व [illegible] उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। प्रतिवादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 402/379 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 403/380 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 509/476 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 99/98 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि मे 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 510/477 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमी संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जि पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1, मृतक दलवीरसिंह व मृतक सुभाष के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 402/379 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 403/380 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 509/476 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 99/98 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि मे 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 510/477 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 6 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:42 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या — 783/2023

अनवान : —

1. जसराज पुत्र रामकिशन जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. रामकिशन पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. जसवंत पुत्र रामकिशन जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. गीता देवी पत्नी स्व0 सुभाष चन्द्र जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. दारासिंह पुत्र स्व0 सुभाषचन्द्र जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. सुनील पुत्र स्व0 सुभाषचन्द्र जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
6. बिमला पत्नी स्व0 दलवीरसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
7. दयाराम पुत्री स्व0 दलवीरसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
8. सुनीता पुत्री स्व0 दलवीरसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
9. सुरस्वती पुत्री स्व0 दलवीरसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
10. तारावती पुत्री स्व0 दलवीरसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
11. सन्तोष पुत्री रामकिशन जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 783 सन 2023 निर्णय दिनांक 04/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 402/379 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 403/380 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या [illegible] की कुल [illegible]0 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा [illegible] तहसील नोहर के खाता संख्या 99/98 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि मे 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

खाता संख्या 510/477 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 6 प्रत्येक को 1/24 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:42 IST
Reason: SelfAttested